Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

निष्पादन वाद सं.– 02/11 सी.आई.एस.क्र.– 02/11

राजा भगत एवं अन्य बनाम भूदेव यादव एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
05/05/25	डिक्रीदार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। निर्णीत ऋणि की कोई पैरवी नहीं है। यह निष्पादन वाद डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 उप–नियम 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिनांक 20.11.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि यह निष्पादन वाद डिक्रीदार संख्या 2 श्री रामजानकी ठाकुर जी के पक्ष में स्वत्व वाद संख्या 01/1977 में पारित डिक्री के निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया गया है। सेवायत देवनारायण भगत श्री रामजानकी ठाकुर जी की मृत्यु दिसम्बर 2002 में हो गई परंतु उन्होंने प्रतिनिधि पत्र निर्गत कर रामाशंकर भगत एवं हरिशंकर भगत को श्री रामजानकी ठाकुर जी की देख–रेख हेतु अधिकृत किये हैं। अतः इस निष्पादन वाद के संचालन हेतु सेवायत देवनारायण भगत का नाम विलोपित कर रामाशंकर भगत एवं हरिशंकर भगत को जोड़े जाने की कृपा की जाए। डिक्रीदार की ओर से आज दिनांक 05.05.25 को रामजानकी ठाकुर बाड़ी समिति के सदस्यगण की बैठक में लिए गए निर्णय की प्रति प्रस्तुत किया गया है। निर्णीत ऋणि की ओर से न तो प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है न ही सुनवाई में निर्णीत ऋणि उपस्थित हुए। डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह निष्पादन वाद स्वत्व वाद संख्या 01/1977 में पारित डिक्री के निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसमें निर्णीत ऋणि संख्या 2 के रूप में श्री रामजानकी ठाकुर जी द्वारा सेवायत श्री देवनारायण भगत लेखबध्य किया गया है जबकि देवनारायण भगत की मृत्यु दिसंबर 2002 में हो गई है। डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत अधिकार पत्र एवं श्री रामजानकी ठाकुर जी समिति की बैठक के निर्णय पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि श्री रामजानकी ठाकुर जी मंदिर के प्रबंध का दायित्व श्री रामाशंकर भगत को दिया गया है। अतः न्यायहित में डिक्रीदार के इस आवेदन को स्वीकृत कर निष्पादन आवेदन में डिक्रीदार संख्या 2 श्री रामजानकी ठाकुर जी के बाद सेवायत देवनारायण भगत का विलोपित कर प्रबंधकर्ता रामाशंकर भगत का नाम जोड़े जाने का अनुमति प्रदान की जाती है। वाद आगामी दिनांक 20.05.25 को निष्पादन की बिंदु पर सुनवाई हेतु नियत। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूणियाँ	